उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग-1
संख्या- **550**/2025/1726/41-1-2025-CN- 1775118-23
लखनऊ:दिनांक: 20 जून,2025

<u>शुद्धि-पत्र</u>

जिला योजनान्तर्गत जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत गुरूद्वारा साहिब श्री भगत धन्ना जी ग्राम उदय करनपुर तहसील पूरनपुर के पर्यटन विकास कार्य के सम्बन्ध में पर्यटन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-542/2025/1603/41-1-2024-CN-1775118-2023, दिनांक 12 जून, 2025 के प्रतिलिपि के क्रमांक-5 पर अंकित 'मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ'' के स्थान पर '' मुख्य कोषाधिकारी, बरेली '' एतद्द्वारा अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 12 जून,, 2025 उक्त सीमा तक संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, पीलीभीत ।
4. अपर आयुक्त (ग्रेड-**I**), वाणिज्य कर विभाग, बरेली मण्डल बरेली ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, बरेली ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. संयुक्त निदेशक, पर्यटन, (जि0यो0) मुख्यालय , लखनऊ।
9. उप निदेशक, पर्यटन, बरेली/मुरादाबाद मण्डल, बरेली ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।